

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2016 राजस्व वाद

उनवान

1. भंवरलाल पिता नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
— (वादी)

बनाम

1. रामचन्द्र पिता नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. भागुता पुत्री नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमति फूमा बेवा नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री भंवरलाल जाटवादी

दिनांक- 10.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में वादी उपस्थित। आज दिनांक 10.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार क्षेत्र बरण की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 3 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. भंवरलाल पिता नारायण फूमा ध0प0 नारायण जाट सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
1592/1	0.12	5.07
1594/1	0.01	—
कुल 2	रकबा 0-13 बीघा	05.07

2. रामचन्द्र पिता नाराचन्द्र फूमा ध0प0 नारायण जाट सा0 देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
1592/1	0.01	5.26
1598	0.12	—
कुल 2	रकबा 0.13 बीघा	5.26


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

3. भागुता पिता नारायण फूमा ध0प0 नारायण जाट सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
1594	0.13	5.26
कुल 1	रकबा 0-13 बीघा	5.26

4. शामलाती

आ0न0	रकबा	लगान
1589	0.06	11.14
1590	0.01	
1594 / 2	0.01	
1079 / 3	2.16	
कुल 4	रकबा 3-04 बीघा	11.14


उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के मध्य क्रम संख्या 1 से 4 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव


उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा)

